

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 23 (80)लेखा/आकाशि/छा.ऑनलाईन/2022-23/ 5099

दिनांक : 13.04.2023

स्कूटी हेतु ऑनलाइन आवेदन की आक्षेपपूर्ति एवं अग्रपिप्त वावल

कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना 2022-23 (12वीं उत्तीर्ण) उच्च शिक्षा विभाग (सभी वर्ग), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (SC वर्ग), जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग (ST वर्ग), अल्पसंख्यक मामलात् विभाग (Minority वर्ग), माध्यमिक शिक्षा विभाग (सामान्य वर्ग का आर्थिक पिछडा (EBC)वर्ग), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु वर्ग) एवं जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग 10वीं उत्तीर्ण छात्राओं हेतु (ST वर्ग), देयनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना, विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बी.एड) संबल योजना तथा मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजनांतर्गत वर्ष 2022-23 हेतु विद्यार्थियों से आक्षेप पूर्ति, महाविद्यालयों द्वारा नोडल महाविद्यालय को फॉरवर्ड हेतु एवं नोडल महाविद्यालयों द्वारा संबंधित मुख्यालय को फारवर्ड हेतु छात्रवृत्ति पोर्टल की तिथियां निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :-

क्र. सं.	योजना का नाम	विद्यार्थियों को आक्षेप पूर्ति हेतु	महाविद्यालयों द्वारा जिला नोडल को फॉरवर्ड हेतु	जिला नोडल महाविद्यालयों द्वारा संबंधित मुख्यालय को फारवर्ड हेतु
1	कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना 2022-23 (12वीं उत्तीर्ण) उच्च शिक्षा विभाग (सभी वर्ग), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (SC वर्ग), जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग (ST वर्ग), अल्पसंख्यक मामलात् विभाग (Minority वर्ग), माध्यमिक शिक्षा विभाग (सामान्य वर्ग का आर्थिक पिछडा (EBC)वर्ग), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु वर्ग) की छात्राओं हेतु	18.04.2023 तक	22.04.2023 तक	26.04.2023 तक
2	कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना 2022-23 10वीं-उत्तीर्ण छात्राओं हेतु (ST वर्ग)	18.04.2023 तक	-	जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा TAD को फारवर्ड हेतु 26.04.2023 तक
3	देयनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना वर्ष 2022-23	18.04.2023 तक	22.04.2023 तक	26.04.2023 तक
4	विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बी.एड) संबल योजना	18.04.2023 तक	22.04.2023 तक	26.04.2023 तक
5	मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना	18.04.2023 तक	22.04.2023 तक	26.04.2023 तक (जि.शिक्षा.रा.जयपुर)

विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि आक्षेप पूर्ति का यह अंतिम अवसर है, इसके उपरान्त उनके स्तर पर शेष रहे आवेदन निरस्त समझे जावेंगे।

संबंधित महाविद्यालय/जिला नोडल महाविद्यालय अपने स्तर से विद्यार्थियों से दूरभाष पर सम्पर्क कर आक्षेप दूर करवाकर उन्हें ऑनलाइन फारवर्ड करवाने की कार्यवाही करें। यदि किसी भी महाविद्यालय/जिला नोडल अधिकारी के स्तर पर उक्त तिथियों के पश्चात् भी आवेदन पत्र लम्बित रहते हैं तो उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी तथा पात्र विद्यार्थी किसी भी प्रकार का कोई वाद दायर करता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रभारी की होगी।

मुख्य लेखाधिकारी
कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर
Signature valid

Digitally signed by Lata Sharma
Designation: Chief Accounts Officer
Date: 2023.04.13 18:30 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3626856

